Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 30/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published *vide* number G.S.R. 230(E), dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सं. 39/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 273(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, अधिसूचना सं.11/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 "परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अविधयों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है।":
- (ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "2. रिजस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रिजस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रिजस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात नया रिजस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. 11/2020–केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 संख्यांक सा.का.िन. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

No. 39/2020-Central Tax

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2020- Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 194(E), dated the 21st March, 2020, namely:—

In the said notification

- (i) in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -
 - "Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.";
- (ii) for the paragraph 2, with effect from the 21st March, 2020, the following paragraph shall be substituted, namely: -
 - "2. **Registration**.- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration)in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later:."

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 11/2020-Central Tax, dated the 21st March, 2020, published vide number G.S.R. 194(E), dated the 21st March, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

सं. 40/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 274(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन, मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 35/2020–केंद्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 03 अप्रैल 2020द्वारा प्रकाशित की गई थी।